कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः 3396/82व्यक–सा0/19 दिनांक 16/12/2019

सेवा में,

1– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।

2– मुख्य अभियन्ता,
रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/
ए0डी0बी0/विश्व बैंक/
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/अल्मोड़ा।

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्र सं0–2911/82व्यक–सा0/19 दि0 01.11.2019, अर्द्ध शा0 पत्र सं0–1016/82व्यक–सा0/19 दि0 21.11.2019 एवं पत्र सं0–3205/82व्यक–सा0/19 दि0 28.11.2019

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण करने वाले अभियन्ताओं की सूचना निर्धारित प्रारूप 1, 2, 3 एवं 4 पर अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करते हुए संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ताओं के स्तर से जो सूचना प्राप्त हो रही है। उस सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा कतिपय मुख्य अभियन्ताओं के स्तर से वांछित प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। कतिपय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा आतिथि तक सूचना प्रेषित ही नहीं की गयी है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण स्कीनिंग कमेटी की बैठक भी निस्तारित नहीं हो पा रही है, यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की सरासर अवहेलना है।

अतः ससमय सूचना प्रेषित न किये जाने, लापरवाहीपूर्वक सूचना प्रेषित किये जाने हेतु आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। साथ ही उक्त संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रारूप 1, 2, 3 एवं 4 की सूचना अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत अधीनस्थों से प्राप्त कर संकलित सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर एवं वांछित प्रमाण पत्र सहित दिनांक 20.12.2019 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित तिथि तक सूचना प्राप्त न होने की दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

उक्त पत्र को अन्तिम अनुस्मारक समझें, इसके पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण पर कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता एवं व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, लो0नि0अनु0–1, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

16/12/19

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

16/12/19